न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/24/2019	24-04-2019	30-01-2020

01– महावीर सिंह पुत्र रामबाबू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम समूंची तहसील कठूमर जिला अलवर राज0। –अपीलांट

बनाम

01– तहसीलदार कठूमर, जिला अलवर –रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कठूमर दिनांक 31.12.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 60/2018

उपस्थितः–

01–श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलाण्ट

–ःनिर्णयः–

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम समूंची की सरकारी गै0मु0 रास्ता भूमि के आराजी खसरा नम्बर 810/1 रकबा 0.91 है0 में से 0.01 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम समूंची की सरकारी गै0मु0 रास्ता भूमि के आराजी खसरा नम्बर 810/1 रकबा 0.91 है0 में से 0.01 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 24.08.2018 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 31.12.2018 अपास्त फरमाया जावें।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 31.12.2018 के विरूद्ध दिनांक 22.04.2019 को पेश किया। जो करीब 03 माह 20 दिन के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार कठूमर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 13.12.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट को पैनल्टी से मुक्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थं भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29-01-2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)